आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई०सी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या – 23/2021

गुंजन भारती

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
25.05.2023	प्रस्तुत अपीलवाद जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के आदेश ज्ञापांक–190 दिनांक 30.01.2021 द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है, जिस आदेश से जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण ने वादी (श्रीमती गुंजन भारती) को चयनमुक्त करने का आदेश दिया है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.2021 द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को इस न्यायालय से अंतिम आदेश पारित होने तक स्थगित करते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्राप्त अभिलेख Misplaced होने के कारण पूनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से उसकी छायाप्रति प्राप्त कर इस वाद की सुनवाई की गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :– (i) वादी महिला पर्यवेक्षिका के पद पर वर्ष 2012 में चयनित होकर कार्य कर रही है। दिनांक 29.06.2019 को वादी का स्थानांतरण बाल विकास परियोजना कार्यालय, मधुबन में हुआ। उस समय केन्द्र सं०–144 पर सेविका/सहायिका का चयन प्रक्रियाधीन था। सारी प्रक्रिया पूरी हो चूकी थी केवल आम सभा नहीं हुआ था।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

(ii) तीन अभ्यर्थी श्रीमती पुनम कुमारी (पति–श्री श्यामबाबू कुमार), श्रीमती अनीता देवी एवं श्रीमती पूनम देवी (पति–श्री अनिल भगत) ने आवेदन दिया। कार्यालय की गलती से श्रीमती पूनम कुमारी का आवेदन पंचायत–मधूबन दक्षिणी, वार्ड सं०–07, केन्द्र सं०–144 के बदले पंचायत–बाजितपुर, वार्ड सं०–07 केन्द्र सं०–147 पर चला गया।

(iii) ऑपबंधिक मेधा सूची में सिर्फ दो आवेदिका का नाम था श्रीमती अनिता देवी एवं श्रीमती पूनम देवी (पति–अनिल भगत)। श्रीमती पूनम कुमारी (पति–श्री श्यामबाबू कुमार) द्वारा दिनांक 12.10.2018 को दावा/आपत्ति समर्पित करने पर उनका आवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा केन्द्र सं०–147 से केन्द्र सं०–144 पर लाकर संशोधित अंतिम मेधा सूची का निर्धारण किया गया। इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पत्रांक 259 'A' दिनांक 14.12.2018 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से स्वीकृति का अनुरोध भी किया गया।

(iv) इस प्रकार श्रीमती पूनम कुमारी (पति–श्री श्यामबाबू कुमार) के आपत्ति पर उनका आवेदन केन्द्र सं०–144 में लाने का कार्य हुआ, जो वादी के योगदान की तिथि 29.06.2019 के बहुत पहले हो चुका था।

(v) जहाँ तक अंतिम मेधा सूची पर किसी पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर नहीं होने का प्रश्न है, के संबंध में कहना है कि उक्त सूची सिर्फ वादी के सूचना के लिए था। आम सभा में जो अंतिम मेधा सूची तैयार की गयी, उस पर अध्यक्ष (वार्ड सदस्य) एवं सचिव (महिला पर्यवेक्षिका) का हस्ताक्षर अंकित है। जिसे कार्यालय द्वारा न भेजकर बिना हस्ताक्षर वाला मेधा सूची जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को भेज दिया गया है।

(vi) वर्तमान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पत्रांक 17 दिनांक 15.10.2021 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचित किया गया है कि श्रीमती पूनम कुमारी (पति–श्री

WEB COPY NOT OFFICIAL

श्यामबाबू कुमार) के दावा/आपत्ति पर तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा उनका आवेदन केन्द्र सं०–147 से केन्द्र सं०–144 पर लाया गया। श्रीमती पूनम कुमारी के सहायिका पद पर चयन में (श्रीमती गुंजन भारती) द्वारा आम सभा में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है।

(vii) सहायिका चयन की तमाम प्रक्रिया वादी के योगदान ग्रहण करने के पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कर ली गयी थी। वादी द्वारा सिर्फ आम सभा कराकर सहायिका के पद पर योग्य अभ्यर्थी का चयन किया गया। चयन के विरूद्ध शिकायत करने वाली श्रीमती अनिता देवी द्वारा आंठवां का अंक–पत्र नहीं दिया गया था। उनके (श्रीमती अनीता देवी) द्वारा जो विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र दिया गया था, वह फर्जी था।

(viii) जिलाधिकारी द्वारा श्रीमती अनीता देवी के शिकायत पर वादी को सेवामुक्त कर दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किये बगैर अपना आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार जिला पदाधिकारी का आदेश निरस्त होने योग्य है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार वादी ने मेधा सूची पर बिना किसी सक्षम प्राधिकार के हस्ताक्षर के ही अभ्यर्थी का चयन कर लिया, जिससे स्पष्ट है कि वादी ने चयन प्रक्रिया में अनियमितता की है एवं जिलाधिकारी द्वारा वादी (श्रीमती गुंजन भारती) के चयनमुक्ति का दिया गया आदेश उचित है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामला पूर्वी चम्पारण जिले के मधुबन दक्षिण पंचायत के वार्ड सं०–07 केन्द्र सं०–144 पर सेविका/सहायिका चयन में अनियमितता से संबंधित है एवं वादी पर मुख्य आरोप पहले से तैयार मेधा सूची पर चयन न कर श्रीमती पूनम कुमारी का नाम जोड़कर बिना हस्ताक्षर के एक अलग मेधा सूची बनाकर सहायिका का चयन करने का है। इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि वादी ने दिनांक

WEB COPY NOT OFFICIAL

29.06.2019 को ही बाल विकास परियोजना, कार्यालय, मधुबन में योगदान दिये थे। उस समय प्रश्नगत केन्द्र पर सेविका/सहायिका चयन प्रक्रियाधीन था, इन्हें (वादी को) केवल आम सभा करना था, के संबंध में उल्लेखनीय है कि आम सभा दिनांक 14.09.2019 को हुआ है अर्थात वादी के योगदान के लगभग तीन महीने बाद हुआ है इसलिए उनका यह कहना मान्य नहीं हो सकता है कि वे उस परियोजना के लिए नयी थी एवं उन्हें प्रश्नगत केन्द्र पर दिये गये दावा/आपत्ति की जानकारी नहीं थी। यदि वे नई थी फिर भी सेविका/सहायिका चयन हेतु सभी विहित प्रक्रियाओं का पालन करके ही चयन करना चाहिए था। वादी द्वारा अहस्ताक्षरित मेधा सूची के आधार पर चयन करना एक गंभीर प्रकृति का आरोप है। उक्त आरोप के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा वादी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। साथ ही जहॉ तक वादी के इस दावे का प्रश्न है कि कार्यालय लिपिक की गलती के कारण श्रीमती पूनम कुमारी का आवेदन दूसरे केन्द्र पर चला गया था, के संबंध में उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा उक्त आरोप के लिए संबंधित कर्मी को भी दो वेतन वृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड दिया गया है।

अब जहां तक वादी के विद्वान अधिवक्ता के इस दावे का प्रश्न है कि अंतिम मेधा सूची पर वार्ड सदस्य एवं महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर अंकित है, के संबंध में उल्लेखनीय है कि यह After thought का मामला प्रतीत होता है क्योंकि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हस्ताक्षरित अंतिम मेधा सूची कार्यालय में समर्पित ही नहीं की गयी और न ही वादी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में ही हस्ताक्षरित अंतिम मेधा सूची का कहीं उल्लेख है। यदि अंतिम मेधा सूची पर वार्ड सदस्य एवं महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर अंकित था तो उसे वादी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के कंडिका–10 में भी अंकित है कि ***"आम सभा में ही संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा मेधा सूची एवं पैनल तैयार कर एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन कर सर्वोच्च मेधा***

WEB COPY NOT OFFICIAL

अंक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर नियुक्ति पत्र महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मुहरित एवं हस्ताक्षरित कर स्थल पर ही निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में रक्षित की जायेगी।" उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में वादी द्वारा अंतिम मेधा सूची की एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा किया जाना था, परंतु वादी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा औपबंधिक मेधा सूची पर चयन न कर एक अलग मेधा सूची तैयार किया गया जिसमें श्रीमती पूनम कुमारी, पति–श्री श्यामबाबू कुमार का नाम जोड़ा गया एवं उक्त मेधा सूची पर महिला पर्यवेक्षिका, वार्ड सदस्य एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधुबन का हस्ताक्षर नहीं है, जिसके आधार पर महिला पर्यवेक्षिका द्वारा सहायिका का चयन किया गया। ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत राज–मधुबन दक्षिणी, वार्ड नं०–07 में सहायिका नियोजन में पायी गयी अनियमितता के विरूद्ध जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर वादी को चयनमुक्त किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख (छायाप्रति) वापस करें।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL